

राजस्थान-सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर

क्रमांक: प.1/प्रति.1/चिकि./स्थाना./2020/

दिनांक:

शुद्धि आदेश

राज्यादेश क्रमांक प.10(1)आयु./2019 दिनांक 30.12.2020 द्वारा जारी
स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में निम्नांकित संशोधन किया जाता है:-

क्र.सं.	सूची की क्रम संख्या	संशोधन
1	101	राज.आयु.औष. आजोलिया का खेडा-भीलवाडा के स्थान पर राज.आयु. औष. आजोलिया का खेडा-चित्तौडगढ पढा जावें।

(सीमा शर्मा)
निदेशक

दिनांक: 4-1-2021

क्रमांक: प.1/प्रति.1/चिकि./स्थाना./2020/ 107

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान-जयपुर को पुष्टियार्थ।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक आयुर्वेद विभाग, अजमेर
3. उपविधि परामर्शी, निदेशालय आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
4. अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, उदयपुर/अजमेर
5. उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, चित्तौडगढ/भीलवाडा
6. प्रोग्रामर निदेशालय आयुर्वेद विभाग, अजमेर को देकर लेख है कि संबंधित को जरिये ई-मेल व विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
7. सम्बन्धित कार्मिक.....।
8. सामान्य पत्रावली।

(आनन्द कुमार शर्मा)
अति.निदेशक (आयु.)